(79)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 819–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 06/14–15/अपील.

लक्ष्मीनारायण धाकड़ पुत्र अर्जुनसिंह धाकड़
निवासी ग्राम चीनौर
तहसील चीनौर जिला ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र सिंह भदौरिया पुत्र श्यामसिंह भदौरिया
निवासी ग्राम चीनौर
तहसील चीनौर जिला ग्वालियर ....अनावेदक

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 13/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, चीनौर के प्रकरण कमांक 13/05–06/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 18–8–2006 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार के समक्ष दिनांक 7–11–14 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 06/2014–15/अपील दर्ज कर दिनांक 28–2–2017 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार

किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक द्वारा यह आधार लिया गया है कि उसे तहसील न्यायालय के उक्त वादग्रस्त आदेश की जानकारी तत्समय नहीं हो सकी थी, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 794/1 रकबा 0.752 हेक्टेयर में से उभय पक्ष द्वारा भूमि कय की गई हैं, और तहसील न्यायालय द्वारा सह भूमिस्वामियों के मध्य बटवारा आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा उपरोक्त बटांकन, बटवारा होने के पश्चात उपरोक्त सर्वे नम्बर की भूमि में से कई लोगों को प्लाट विकय किये गये हैं । उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अनावेदक को बटवारा, बटांकन एवं राजस्व अभिलेख में इन्द्राज को स्वीकार किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक का यह कहना पूर्णतः गलत है कि उसे बटवारा आदेश की जानकारी नहीं हुई थी, बल्कि अनावेदक को प्रारंभ से आदेश की जानकारी थी । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में गंभीर भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि बटवारा, बटांकन होने के बाद आवेदक द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 20–8–2014 कराया गया है, और मौके पर पंचनामा तैयार किया गया है, जिस पर अनावेदक के हस्ताक्षर है । उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से यह सिद्व हो जाता है कि उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अनावेदक के समक्ष हुई है, जो उसे स्वीकार है ।

तर्कों के समर्थन में 2000 –नौ (एस.सी.सी.) पेज 292, 1995 द्वितीय (एस.सी.सी.) पेज 634, 2009 तेरह (एस.सी.सी.) पेज 192, ए.आई.आर. 1987 (सु.को.) पेज 1353, ए.आई. आर. 1996 (सु.को.) पेज 1623, 2012 पांच (एस.सी.सी.) पेज 157, 2012 तीन (एस.सी.सी.) पेज 563, 2010 पांच (एस.सी.सी.) पेज 459 एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा आई.एल.आर. 2013 में पारित आदेश दिनांक 29–1–2013 का उल्लेख किया गया ।

4/ अनावेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का काई अवसर नहीं दिया गया है,

इसलिए उसे तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं हुई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक हितबद्ध पक्षकार है, अतः तहसील न्यायालय को अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा न तो उसे कोई सूचना दी गई, और न ही फर्द बटवारे में उसे नामांकित किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब का कारण सद्भाविक मानकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में उचित कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी अन्तिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलबध है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक के हितबद्ध पक्षकार होने के बावजूद भी उसे सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में मान्य कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त सामान्यतः प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर